

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2018	<p align="center">मूलसिंह वगैराह बनाम श्री गोरधन लाल शर्मा एसडीओ रामगढ पचवारा वगैराह</p> <p align="center">किस्म मुकदमा : स्थानान्तरण प्रा० पत्र</p> <p align="center">मु०नं० 78 / 2018</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री ब्रजमोहन गौड को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखी जावे। पत्रावली दिनांक 20.8.2018 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> अति० जिला कलेक्टर दौसा</p>	<p align="right">तद्विरीर 10329 <hr/>25-7-18</p>
20-8-18	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा श्री गोरधन लाल शर्मा का स्थानान्तरण हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण का आगे चलाने जिन का औचित्य नहीं है।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्य को अध्ययन कर सकते हुए विचाराधीन प्रकरण स्थानान्तरण का आगे चलाने जिन का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन शका उद्घोषणा एवं स्वामी निषेधाज्ञा उनबानी मूलसिंह बनाम सम्प्रतिसिंह को से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जा रहा है। निवेदन की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एस० रामगढ पचवारा के निरवाहक जज पञ्चवारी केसल सुमार होकर नम्बर से कर दो जिनके आज दिनांक 20-8-18 में अति० न्यायालय में पेश किया गया।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> अति० जिला कलेक्टर दौसा</p>	

